

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पत्रांक:-सीएफओ/एन/एएलएम/2024-25(182)

ईमेल-cfoalm.ukfs@gmail.com

जनपद अल्मोड़ा।
दिनांक: मई 31, 2025

सेवा में,

PRINCIPAL/MANAGER,
G.I.C. CHAUNALIYA
THE-BHIKIYASEN, DISTT.-ALMORA

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:-26137521, दिनांक: 22.05.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन G.I.C. CHAUNALIYA, THE-BHIKIYASEN, जनपद-अल्मोड़ा, का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत से काराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.05.2025 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा 02 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर आठ हजार लीटर क्षमता का भूमिगत व 2000 लीटर क्षमता का ओवर हैड वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड- 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रानीखेत की संस्तुति के आधार पर G.I.C. CHAUNALIYA, THE-BHIKIYASEN, जनपद अल्मोड़ा का (भूतल व प्रथम तल में कुल 12 कमरों हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 31 मई 2025 से 30 मई 2028 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये:-

1. राती बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीडियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. राती अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की सीपना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्केबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति-प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।


(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा।